# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई॰ए॰एस**

प्रकरण संख्या **40/2020** अपील (राजस्व)

श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री केसरसिंह राजपूत, निवासी–राठौडो का गुडा, तहसील–भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

**–– अपीलान्ट**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

**–– रेस्पोडेन्ट**

**अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश बन्यायालय तहसीलदार भीण्डर बप्रकरण संख्या 2/2020 ना.क.आदेश दिनांक 31.08.2020 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अनवान रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाम जसवन्त सिंह**

**उपस्थित :** 1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

## निर्णय

दिनांकः–29.11.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का सिहांड, तहसील भीण्डर द्वारा एक रिपोर्ट माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत की जिसमें अपीलाण्ट द्वारा आराजी नंबर 105 मी. में अतिक्रमण किया है। उक्त प्रकरण धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज कर दिनांक 31.08.2020 को अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि मामले में जवाब पेश करना चाहता है। अपीलाण्ट द्वारा निवेदन करने पर यह प्रकरण माननीय अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को मौके से हटाने के बाद मौके से बेदखल की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर दिया। भारतीय संविधान के मूल सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता तथा उसको सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए, तत्पश्चात् विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए, लेकिन माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट का जवाब व दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाकर तथा जवाब व दस्तावेज के अनुसार साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। प्रकरण के वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि पटवार हल्का सिहांड का राजस्व गांव राठौडों को गुडा में आराजी नंबर 105 रकबा 87 बीघा 5 बिस्वा का बहुत बड़ा रकबा है। उक्त रकबे में से माननीय न्यायालय आप द्वारा दिनांक 05.02.2009 को तीन बीघा भूमि ग्राम पंचायत सिहांड को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित/हस्तांतरित की जाती है। आरक्षित भूमि का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया जायेगा जिसके लिए भूमि आरक्षित/हस्तांतरित की गई है, का आदेश आप द्वारा फरमाया गया है। उक्त आदेश की पालना के तहत अपीलाण्ट ने वहां पर पशुपालन के लिहाज से गौशाला बना रखी है तथा इस प्रकार भूमि का अपीलाण्ट कृषक होने के नाते उपयोग में लेने हेतु कृत्य किया है। माननीय न्यायालय आप द्वारा आबादी भूमि में उक्त आराजी का रकबा परिवर्तित किए जाने के पश्चात् अपीलाण्ट के अलावा अन्य गांव के निवासीयों में श्री गजेन्द्र सिंह, श्री रतनसिंह, श्री प्रेम सिंह, श्री धनदास, श्री विक्रमसिंह, श्री भेरूसिंह, श्री गोपाल सिंह, श्री रणधीर सिंह, श्री जसवन्त सिंह, श्री नरेन्द्र दास व श्री देवेन्द्र सिंह ने भी उक्त आराजी में बाडे बना रखे हैं। इस प्रकार उक्त आंशिक पारित की गई भूमि का अपीलाण्ट के अलावा ऊपर वर्णित व्यक्तियों द्वारा उपयोग–उपभोग में ली जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:30 IST
Reason: SelfAttested

रही है, लेकिन अपीलाण्ट एक साधारण परिवार को गरीब सदस्य होने के नाते केवल अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त मामला दर्ज किया जाकर उसके विरूद्ध आदेश पारित फरमाने में भूल फरमायी गई है, जबकि ऊपर वर्णित व्यक्तियों के विरूद्ध कोई मामला अतिक्रमण का पंजीबद्ध नहीं किया है और इस प्रकार ऊपर वर्णित व्यक्तायों को मौके पर से नहीं हटाया है, न ही उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट को केवल मात्र तंग व परेशान करने की गरज से उक्त मामला दर्ज किया जाकर बगैर सुनवाई किये निर्णय पारित फरमा दिया जो विधि के प्रतिकूल होकर खारिज फरमाये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय आप द्वारा आवासीय में परिवर्तित की गई भूमि का पंचायत द्वारा भी प्लानिंग का प्रस्ताव भी श्रीमान् को पंचायत द्वारा पूर्व में प्रेतिषत कर रखा है और इसी के तहत अपीलाण्ट उक्त भूखण्ड पर मवेशी बांधने के लिए गौशाला बनाई है, क्योंकि अपीलाण्ट के पास गांव में इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है, इस प्रकार अपीलाण्ट भूमिहीन काश्तकार है। माननीय आप न्यायालय द्वारा आबादी में परिवर्तित की गई भूमि पर से अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया गया तो बडी भारी अशोधनीय क्षति अपीलाण्ट को हो जायेगी जिसका नकद में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा व अपीलाण्ट के मवेशी खुले में रहने की स्थिति में सर्दी व बारिस से मर जायेगें तथा जंगली जानवरों द्वारा भी मार दिये जाने का पूर्ण खतरा हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को उक्त भूखण्ड से बेदखल किया जाना न्याय के प्रतिकुल होगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 ना.क. में पारित किये गये निर्णय व आदेश दिनांक 31.08.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] पत्रावली तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:30 IST
Reason: SelfAttested

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का सिंहाड, तहसील भीण्डर के राजस्व गांव राठौडों का गुडा में आराजी नंबर 105 रकबा 87 बीघा 5 बिस्वा का बहुत बड़ा रकबा है। उक्त रकबे में से माननीय न्यायालय आप द्वारा दिनांक 05.02.2009 को तीन बीघा भूमि ग्राम पंचायत सिंहाड को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई। उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट ने वहां पर पशुपालन के लिहाज से गौशाला बना रखी है तथा इस प्रकार भूमि का अपीलाण्ट कृषक होने के नाते उपयोग में लेने हेतु कृत्य किया है। पटवारी हल्का सिंहाड द्वारा एक रिपोर्ट माननीय अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.07.2020 को प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी नंबर 105 मी. पर अतिक्रमण किया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31.08.2020 को अपीलाण्ट को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को मौके पर से हटाने का आदेश पारित कर दिया गया जो न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। आबादी की उक्त आराजी का रकबा परिवर्तित किये जाने के पश्चात् अपीलाण्ट के अलावा गांव के अन्य निवासियान द्वारा भी उक्त आराजी पर बाडे बना रखे हैं। इस प्रकार उक्त आराजीयात अपीलाण्ट के अलावा गांव के अन्य निवासियों द्वारा भी उपयोग–उपयोग में लायी जा रही है, लेकिन अपीलाण्ट एक साधारण परिवार से होने के नाते अपीलाण्ट के विरूद्ध उक्त मामला दर्ज किया जाकर उसके विरूद्ध निर्णय पारित फरमाने में भूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:30 IST
Reason: SelfAttested

फरमायी गयी है। अपीलाण्ट को केवल मात्र तंग व परेशान करने की गरज से उक्त मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय आप द्वारा अवासीय में परिवर्तित की गई भूमि को पंचायत द्वारा भी प्लानिंग का प्रस्ताव भी पंचायत द्वारा पूर्व में प्रेषित कर रखा है और इसी के तहत अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूखण्ड पर मवेशी बांधने के लिए गौशाला बनाई गई है। सर्दी व बारिस में मवेशियों को खुले में रहने से एवं जंगली जानवरों द्वारा मार दिये जाने का खतरा हो जायेगा, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2020 ना.क. में पारित किये गये निर्णय व आदेश दिनांक 31.08.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि गांव राठौड़ो का गुडा में स्थित आराजी संख्या 105 रकबा 87 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत सिंहाड को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई। उक्त आरक्षित भूमि का नवीन आराजी संख्या 315/187 रकबा 0.6400 हैक्टेयर बने हैं जो कि ग्राम पंचायत सिंहाड आबादी के नाम से दर्ज है। प्रार्थी का स्वयं का मकान आराजी संख्या 187 किस्म पड़त द्वितीय बिलानाम सरकार में स्थित है जो राजकीय भूमि पर स्थित है। राजकीय बिलानाम भूमि पर तहसीलदार भीण्डर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया बेदखली का आदेश न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलाण्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:30 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार भीण्डर द्वारा विधिवत भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि आराजी संख्या 105 रकबा 87 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत सिंहाड को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई। उक्त आरक्षित भूमि पर अपीलाण्ट ने पशुपालन के लिहाज से गौशाला बना रखी है। आरक्षित भूमि का नवीन आराजी संख्या 315/187 रकबा 0.6400 हैक्टेयर बने हैं परन्तु अपीलार्थी का आबादी भूमि पर कब्जा संबंधी कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। किसी व्यक्ति को राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं हैं। अपने कथनो से ही अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण को साबित किया जा रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.08.2020 से जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
**जिला कलक्टर**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:30 IST
Reason: SelfAttested